

28

तकनीकी बोली क्रय समिति की बैठक दिनांक 08.08.2016 की समीक्षा टिप्पणी पैरा 19/एन के अनुसार ओएस्टर इण्डिया तथा रश्मि होस्पिटेलिटी को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया तथा मैसर्स प्रेरणा एन्टरप्राइजेज के अतिरिक्त अन्य तीन फर्मों के दस्तावेजों में अस्पष्ट/अपूर्ण जानकारी को RTPP Rule 60 एवं 61 के अनुसार फर्मों से स्पष्ट कराये जाने का निर्णय लिया गया था। 308/सी से 310/सी पर सम्बन्धित फर्मों को पत्र भेजे जाकर सूचना चाही गयी थी। इस सम्बन्ध में फर्मों द्वारा निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये हैं :-

दास रेस्टोरेन्ट - वर्ष 2014-15 का अनुभव प्रमाण-पत्र दे दिया गया है। (314/सी)


साई होस्पिटेलिटी - बोली शर्तों के अनुसार ई0पी0एफ0 चालान की नवीनतम जमा की प्रति उपलब्ध करवा दी गयी है। (333-336/सी)


29


पैरा 19 (6) के सम्बन्ध में तीनों फर्मों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आयकर रिटर्न वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 वस्तुतः आय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 की ही रिटर्न है जो उनके द्वारा जमा की गयी है तथा इसके दस्तावेज उनके द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध करवा दिये गये हैं।


30

इस प्रकार तकनीकी क्रय समिति द्वारा प्रेरणा एन्टरप्राइजेज, मिलन स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, दास रेस्टोरेन्ट एवं साई होस्पिटेलिटी इन चारों फर्मों को तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर इनकी वित्तीय दर निविदा दिनांक 23.08.2016 को प्रातः 11.00 बजे खोले जाने की अभिशंषा करती है।

  
(देवेन्द्र राठौड़)  
प्रबन्धक, विश्रान्ति

  
(शशि जैन)  
व0लेखाधिकारी


  
(रमेश चन्द श्रीवास्तव)  
आहरण एवं वितरण अधिकारी

  
(समीर शर्मा)  
संयुक्त निदेशक एवं  
कार्यालयाध्यक्ष

31 अनुमोदनार्थ ।

~~आवि. निरे. (लेखा.)~~

~~आवि. निरे. (उशा.)~~

  
19.8.16


  
19/8

32

~~ORC (Hostel)~~

Adole (V)

Manager (V)

  
19/8/16